भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2106

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कोयले का घरेलू उत्पादन

2106. श्रीमती वीणा देवी:

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और कोयले के आयात को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विगत नौ वर्षों के दौरान तत्संबंधी प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए आमंत्रित प्रस्तावों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निष्कर्षण कार्य पूरा होने के बाद बंद हो चुकी/बंद होने वाली संभावित कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खनन के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार खुले बाजार में बिक्री के लिए सहायक कंपनियां बनाने के बजाय स्वतंत्र संस्थाओं अथवा अंतिम उपयोग रहित कंपनियों में बड़े पैमाने पर कार्यों के विकास को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार कोयला ग्रेड मूल्य निर्धारण तंत्र को कोयला खान पर आधारित ग्रेड से संशोधित करके अंतिम उपयोग हेतु वांछित कोयले के आधार पर ग्रेड में बदलने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और देश में कोयले

के अनावश्यक आयात को समाप्त करने पर है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। वर्ष 2022-23 में, कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ा है। वर्तमान वर्ष के दौरान जून, 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.51% से अधिक की वृद्धि हुई है।

कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैः

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों से भिन्न) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद और ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के परिचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी यूनिट।

v. राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी भूमिगत (यूजी) खानों, मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) में, जहां भी व्यवहार्य हो, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) को अपना रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने परित्यक्त/बंद की गई खानों की उपलब्धता को देखते हुए बड़ी संख्या में कार्यरत हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी परिकल्पना की है। कोल इंडिया लिमिटेड जहां भी व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की योजना भी बना रही है।

vii. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पास अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। इसकी 7 मेगा खानों में पायलट पैमाने पर डिजिटलीकरण का प्रयास किया जा रहा है और इसे आगे भी दोहराया जाएगा।

viii. एससीसीएल ने वर्ष 2023-24 तक 67 मि.ट. के वर्तमान स्तर से 75 मि.ट. उत्पादन करने की योजना बनाई है। नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नियमित रूप से संपर्क

किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाओं की गतिविधियों की प्रगति और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालनों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

कोयले के आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार है:

i. उन मामलों में जहां एसीक्यू को या तो 90% मानक आवश्यकता (गैर-तटीय) तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को 70% मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) तक कम कर दिया गया था, एसीक्यू को 100% मानक आवश्यकता तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री हेतु अल्पावधि के लिए या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले और गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की नौ बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले नौ वर्षों के दौरान घरेलू कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला उत्पादन
2013-14	565.765
2014-15	609.179
2015-16	639.230
2016-17	657.868
2017-18	675.400
2018-19	728.718
2019-20	730.874
2020-21	716.083
2021-22	778.210
2022-23(अनंतिम)	893.190

पिछले वर्षों में कोयला उत्पादन में बड़ी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2022-23 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन वर्ष 2013-14 में 565.77 मि.ट. की तुलना में लगभग 58% की वृद्धि के साथ 893.19 मिलियन टन (मि.ट.) रहा।

वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्त्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) : (i) पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास संबंधी वित्तपोषण के लिए अनुसंधान प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों की संख्या	उपयुक्त और अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों का कुल मूल्य (करोड़ रु. में)
2020-21	42	09	19.01
2021-22	23	10	41.74
2022-23	27	04	58.10
2023-24 (आज तक)	20	01	17.70

ii) पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त कोयला मंत्रालय के एसएंडटी वित्तपोषण के लिए अनुसंधान प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त एसएंडटी प्रस्तावों की संख्या	उपयुक्त और अनुमोदित एसएंडटी प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों का कुल मूल्य (करोड़ रु. में)
2020-21	34	05	11.73
2021-22	19	02	2.44
2022-23	38	09	11.41
2023-24 (आज तक)	50	05	10.96

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान परित्यक्त/बंद/समाप्त की गई सीआईएल की कोयला खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सीआईएल की सहायक कंपनी	**खानों का नाम**
ईसीएल	कालीपहाड़ी ओसी पैच ए
	न्यू केंदा
बीसीसीएल	बेरा
	दामागोरिया
	केंदुआडीह
	केबी 10/12 पिट्स
	सालनपुर
	भौरा (एन)
डब्ल्यूसीएल	शोभापुर
	घोरावारी/झरना
	बरकुही ओसी
	भरत (घोरावारी-2)
एसईसीएल	पिनौरा
	महामाया
	बिश्रामपुर
	महान
	महान-II
	कटकोना 3 एवं 4

एमसीएल	ओरिएंट-3
एनईसी	टिपोंग
	तिरप

कोयला निष्कर्षण कार्य पूरा होने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा बंद की जाने के लिए संभावित कोयला खानें निम्नानुसार हैं:

सीआईएल की सहायक कंपनियां	**खानों का नाम**
डब्ल्यूसीएल	न्यू सेठिया स्कीम ओसी, मोहन स्कीम चरण-IV ओसी, मथानी यूजी, छतरपुर II यूजी, न्यू माजरी सेक्टर I और II ए ओसी, पेनगंगा ओसी, कोलगांव आरपीआर ओसी, जुनाद एक्सटेंशन ओसी, उमरेर ओसी, बल्लारपुर ओसी, छिंदा स्कीम ओसी (11 खानें)
एसईसीएल	नॉर्थ चिरिमिरी यूजी, माल्गा यूजी, पिनौरा यूजी (3 खानें)
एनसीएल	काकरी ओसीएम
एमसीएल	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार ओसीपी
सीसीएल	डकरा ओसी

पिछले तीन वर्षों से भंडार की समाप्ति /ओसी खानों में परिवर्तन के कारण एससीसीएल की बंद कोयला खानें निम्नानुसार हैं:

खानों का नाम
आरके-8 इंक्लाइन
वीके-7 इंक्लाइन
जेवीआर ओसी
जीडीके 7 एलईपी
बीपीए ओसी II
मेडिपल्ली ओसी

वर्तमान वर्ष और आगामी तीन वर्षों में एससीसीएल द्वारा बंद की जाने वाली प्रस्तावित खानों की सूची:

केके1 इंक्लाइन

आरके1ए इंक्लाइन
जीके ओसीपी
जेके5ओसी
आरकेपीओसी
आरके-एनटी
आरके-6 इंक्लाइन
एसआरपी-1 इंक्लाइन
एमएनजी ओसी
आरजी ओसी-1 विस्तार एवं फेस-II

(घ) : अन्वेषण के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट के खनन के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है। कोयला और लिग्नाइट के नए क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए कोयला मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के माध्यम से एक उप-स्कीम अर्थात् संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) कोयले सहित खनिजों की जांच भी करता है।

(ङ) : वर्तमान में खुले बाजार में बिक्री के लिए सहायक कंपनियां बनाने के बजाय स्वतंत्र संस्थाओं अथवा अंत्य उपयोग रहित कंपनियों में बड़े पैमाने पर कार्यों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) और (छ) : वर्तमान में, कोयला मूल्य निर्धारण कोयले के ग्रेड के आधार पर किया जाता है। अंत्य उपयोग हेतु वांछित कोयले पर आधारित कोयले के ग्रेड हेतु मूल्य निर्धारण कार्यतंत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****